

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सी०एम०पी० संख्या—135 / 2019

राम ईश्वर सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

शशिधर मंडल, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद

..... विरोधी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डी०एन० पटेल

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता।
विरोधी पक्ष के लिए : श्री एम०पी० सिन्हा, अधिवक्ता।

02 / दिनांक: 12वीं अप्रैल, 2019

त्रुटि संख्या—3 को अस्थायी रूप से नजरअंदाज किया जाता है। कार्यालय द्वारा बताये गये बाकी त्रुटियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर हटा दिया जाएगा, विफल होने पर, इस याचिका को स्वतः खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

(डी०एन० पटेल, न्याया०)